



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-22052026-272761
CG-CG-E-22052026-272761

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2487]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 2487]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 19 मई, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत अधिसूचना

का.आ. 2579(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना अर्थात् धरमजयगढ़ से कोरबा नई लाईन परियोजना (62 किमी) कोरबा जिला के छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आषय की घोषणा करती है, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन, पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा को जिलाधीष कार्यालय, कोरबा छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे

उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची							
छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन-विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, धरमजयगढ़ से कोरबा (62 किमी) (कोरबा जिला) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :- (पूरक-III)							
जिला का नाम:- कोरबा				जिला का नाम:- कोरबा			
तहसील का नाम:- कोरबा				तहसील का नाम:- कोरबा			
क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)	क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अखरापाली	534/2	0.204	1	अखरापाली	573/8	0.020
		534/4				573/7	
		534/1	0.020			573/9	0.081
		581/1				573/5	0.025
		582/2	525/1			0.052	
		580/3	525/3			0.015	
		580/5	525/5			0.069	
		580/4	0.073			0.012	
573/3	0.032						
2	उरगा	1359/1	0.032	2	उरगा	1103/1	0.080
		1389	0.105			1268/15	0.024
		1390/1				1160	0.526
		1392/1				1161	
		1397/1	0.004			1210	0.129
		1274/1	0.043			1211	
		1274/2	0.085			844/1/घ	0.030
		1219	0.016			850/1	0.026
		1115/1	0.012			850/2	0.024
		1096/3	0.024			1116/2	0.008
		1096/7	0.024				
3	देवरमाल	745/10	0.040	3	देवरमाल	746/12	0.013
		739/6	0.076			814/1	0.028
		746/14	0.024			814/2	0.012
		746/2	0.048			746/4	0.064
4	पताडी	637/1	0.061	4	पताडी	1020/11	0.065
5	तिलकेजा	26/2	0.202				

योग 2.968 हेक्टेयर

[फ़ा. सं. सी.ए.ओ. / सि / बीएसपी / धरमजयगढ़-कोरबा / 5]
मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 19th May, 2026

Notice under Section 20 A of the Railways Act 1989

S.O. 2579(E).—In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act) the Central Government, after being satisfied that for the public

purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway project, namely Dharamjaigarh To Korba (62 Km) in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land; Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Additional Collector, Korba, Collectorate office, Korba, Chhattisgarh in writing, and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, Dharamjaigarh to Korba New Rail Line Project (62 Km) (for Korba District) in the State of Chhattisgarh. (Supplementary-III)							
Name of District : Korba				Name of District : Korba			
Name of Tahsil : Korba				Name of Tahsil : Korba			
No.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)	No.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akharapali	534/2	0.204	1	Akharapali	573/8	0.020
		534/4				573/7	0.081
		534/1	0.382			573/9	0.025
		581/1	0.020			573/5	0.052
		582/2				525/1	0.015
		580/3	0.089			525/3	0.069
		580/5	0.069			525/5	0.012
		580/4	0.073				
573/3	0.032						
2	Urga	1359/1	0.032	2	Urga	1103/1	0.080
		1389	0.105			1268/15	0.024
		1390/1				1160	0.526
		1392/1				1161	
		1397/1	0.004			1210	0.129
		1274/1	0.043			1211	
		1274/2	0.085			844/1/2k	0.030
		1219	0.016			850/1	0.026
		1115/1	0.012			850/2	0.024
		1096/3	0.024			1116/2	0.008
		1096/7	0.024				
3	Devermal	745/10	0.040	3	Devermal	746/12	0.013
		739/6	0.076			814/1	0.028
		746/14	0.024			814/2	0.012
		746/2	0.048			746/4	0.064
4	Patadi	637/1	0.061	4	Patadi	1020/11	0.065
5	Tilkeja	26/2	0.202				

Total :- 2.968 Hectare

[F. No. CAO/C/BSP/Dharamjaigarh-Korba/5]
MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con.)